

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 231/2024

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :- 28/02/2025

अनुवान मौहम्मद गफ्फार खां बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार सरदारशहर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानड़वास तहसील सरदारशहर की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में खाता संख्या नया 59 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 28/2/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

क्र. सं.	ग्राम	खाता नया	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कानड़वास		59	सतार पुत्र नानूखाँ	मौहम्मद गफ्फार खाँ उर्फ सतार पुत्र नानू खाँ



दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार सरदारशहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।
2. प्रार्थी श्री/श्रीमती



दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)

